"बाल सुधार गृह में रहने वाले बालकों का शैक्षणिक विकास एवं उनके व्यवहार पर प्रभाव का अध्ययन"

शिक्षा विभाग

में पी.एच.डी.

उपाधि हेतु

प्रस्तुत शोध - सारांश

प्रारूप

बाई बी एन यूनिवर्सिटी

राजाउलातु, नामकुम, रांची

झारखंड 834010 (भारत)

ईयर 2025

शोध पर्यवेक्षक

डॉ अवधेश कुमार यादव

सह प्राध्यापक,

शिक्षा विभाग

शोध प्रज्ञ

मंजरी कुमारी

नामांकन संख्या - YBNU2001418

शिक्षा विभाग

	विषय सूची	
1.	प्रस्तावना	01
2.	साहित्य की समीक्षा	10
3.	शोध का महत्व / उद्देश्य	13
4.	परिकल्पना	14
5.	शोध कार्य की क्रियाविधि	15
6.	संदर्भ ग्रन्थ सूची	17

प्रस्तावना

परिचय –

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बाल–अपराध (जुवेनाइल डेलिक्वेंसी) के कारण सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक, वातावरणीय परिवेश में काफी बदलाव आया है। यह बदलाव बालकों के व्यवहार को प्रभावित करता है। इसी आधार पर हमारी शिक्षा प्रणाली में भी यथोचित सुधार आना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली तथा अन्य सुविधाओं में यथोचित सुधार के बिना हम बाल अपराध जैसी समस्या का उचित निदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधुनिक प्रगतिशील देशों में किशोरावस्था या बाल्यावस्था में अपराध को दण्ड का पात्र नहीं समझा जाता है, बल्कि उसमें सुधार के उपाय किये जाते हैं। बाल अपराध को समझने से पहले बालक कौन है? यह समझना आवश्यक है साथ ही यह भी आवश्यक है कि इन बालको को किस श्रेणी में रखा जाता है।

बच्चे किसी भी समाज के लिए एक मूल्यवान संपत्ति हैं। समाज की पूरी संरचना या व्यवस्था बच्चों पर निर्भर करती है। बच्चे समाज के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम हैं, चाहे वह अपनी संस्कृति और मूल्यों को बदलने के लिए हो या सुधारने के लिए। बचपन वह अवधि है जो आसानी से नए मूल्यों और प्रवृत्तियों को आत्मसात करती है। फिर, अगर समाज अपने स्थायी सामाजिक, नैतिक और नैतिक चरित्र का निर्माण करना चाहता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका अपने बच्चों में समान व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। बच्चे भविष्य के समाज की नींव हैं। और इसलिए यह कहा जा सकता है कि "जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वैसे-वैसे समाज भी बड़ा होता है।"

कोई भी समाज अपने बच्चों को निरंतरता या प्रगति की प्रक्रिया में शायद ही नजरअंदाज कर सकता है। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। लगभग सभी प्राचीन संहिताएँ बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना समाज का दायित्व है। बच्चों की दुनिया

मासूमियत, खुशी और प्यार की दुनिया है। वे भविष्य की सभ्यता का आधार हैं और इस तरह, इसके चिरस्थायी नवीनीकरण का एक मूल्यवान स्रोत हैं। आज के बच्चों के कंधों पर ही मानवता उज्ज्वल भविष्य की नींव रख सकती है। अगर हम अपने आस-पास की सबसे खुशहाल दुनिया की मजबूत नींव रखना चाहते हैं, तो हमें बच्चों की पीढ़ियों का ख्याल रखना होगा, जिन्हें कल की दुनिया में अपनी भूमिका निभाने के लिए पोषित, पोषित, मदद और सुसज्जित करने की आवश्यकता है।

भारत में बाल न्याय अधिनिय 1986 (संशोधित 2000) के अनुसार 16 वर्ष तक के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य बाल अपराध है।

टीवी मनोरंजन का व्यवस्था पर– न्यूमेय (Neumeyer) के शब्दों में "यह मानना ज्यादा सही होगा कि इनका प्रभाव बालकों के ऊपर अतिरिक्त कारक के रूप में काम करता है जो कि व्यवहार के सामान्य मानदण्डों से विचलित होते है और किसी खास सामाजिक पर्यावरण में रह रहे होते हैं।

इस प्रकार सिरिल बर्ट (Cyril Burt) ने लंदन में अध्ययन में पाया कि जहाँ खेल के मैदान कम है वहाँ उनका विचार हैं– "लन्दन के हर उन क्षेत्रों में बाल–अपराध की दरें ज्यादा है जहाँ खुले मैदान का अभाव है, जहाँ न तो पार्क है न खेल के मैदान है और न ही मनोरंजन–पार्क आदि है।

हजारीबाग और राँची जिले में भी सम्प्रेक्षण गृह या बाल सुधार गृह की स्थापना की गई है। हजारीबाग में यह विश्वविद्यालय के काफी समीप है। इस बाल सुधार गृह में कुल 100–150 बाल अपराधियों की रहने की व्यवस्था की गई है जो बाल अपराधी पांच जिलों से लाये गये हैं जो कि क्रमशः

मासूमियत, खुशी और प्यार की दुनिया है। वे भविष्य की सभ्यता का आधार हैं और इस तरह, इसके चिरस्थायी नवीनीकरण का एक मूल्यवान स्रोत हैं। आज के बच्चों के कंधों पर ही मानवता उज्ज्वल भविष्य की नींव रख सकती है। अगर हम अपने आस-पास की सबसे खुशहाल दुनिया की मजबूत नींव रखना चाहते हैं, तो हमें बच्चों की पीढ़ियों का ख्याल रखना होगा, जिन्हें कल की दुनिया में अपनी भूमिका निभाने के लिए पोषित, पोषित, मदद और सुसज्जित करने की आवश्यकता है।

भारत में बाल न्याय अधिनिय 1986 (संशोधित 2000) के अनुसार 16 वर्ष तक के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य बाल अपराध है।

टीवी मनोरंजन का व्यवस्था पर– न्यूमेय (Neumeyer) के शब्दों में "यह मानना ज्यादा सही होगा कि इनका प्रभाव बालकों के ऊपर अतिरिक्त कारक के रूप में काम करता है जो कि व्यवहार के सामान्य मानदण्डों से विचलित होते है और किसी खास सामाजिक पर्यावरण में रह रहे होते हैं।

इस प्रकार सिरिल बर्ट (Cyril Burt) ने लंदन में अध्ययन में पाया कि जहाँ खेल के मैदान कम है वहाँ उनका विचार हैं– "लन्दन के हर उन क्षेत्रों में बाल–अपराध की दरें ज्यादा है जहाँ खुले मैदान का अभाव है, जहाँ न तो पार्क है न खेल के मैदान है और न ही मनोरंजन–पार्क आदि है।

हजारीबाग और राँची जिले में भी सम्प्रेक्षण गृह या बाल सुधार गृह की स्थापना की गई है। हजारीबाग में यह विश्वविद्यालय के काफी समीप है। इस बाल सुधार गृह में कुल 100–150 बाल अपराधियों की रहने की व्यवस्था की गई है जो बाल अपराधी पांच जिलों से लाये गये हैं जो कि क्रमशः

के तारीख के अनुसार कार्यवाही करते हैं। यहाँ उपस्थित बालकों में अधिकांश बालकों की उम्र 14 वर्ष से अधिक ही है मुश्किल से 5 बालक ऐसे हैं जो 13 या 12 साल के हैं। एक बालक 12 साल से भी कम का है जिसपर लड़की अपहरण का आरोप है।

इन बालकों की दिनचर्या सुबह 5 बजे से प्रारंभ होती है जिसमें पानी भरना तथा नहाना, कपड़े धोना का कार्य ये सब अपने–अपने लिए करते हैं। इनके रसोई घर का काम वार्ड के हिसाब से बाँटा हुआ है प्रत्येक वार्ड के 20 बच्चे नास्ता, खाना तथा रात के खाने की सारी तैयारियाँ करते हैं बाकी के बच्चे अपना–अपना कार्य करते हैं। इस बाल सुधार गृह का नियम है जो बालक नया किसी जिला से लाया जाता वो 4 दिन तक लगातार काम करता उसके बाद फिर वार्ड के अनुसार काम करता। इनको सीमित राशनों में ही जो कि सरकार द्वारा प्राप्त होती इसी में 15 दिन तक काम चलाना पड़ता है। अभिभावकों के मिलने का समय सोमवार तथा शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक केवल माता–पिता या अभिभावकों को, वो भी महीने में सिर्फ एक बार मिल सकते हैं। बाहर से कोई भी वस्तु न ली जा सकती न ही बाहर से कोई वस्तु दी जा सकती है। चारों ओर CCTV कैमरे लगे हुए है।

यहाँ उपस्थित अधिकांश बच्चे मैट्रिक पास है कुछ 5 प्रतिशत बच्चे 7वीं पास ही है। मनोज सर तथा नवीन सर द्वारा ली जा रही कक्षाओं में मुख्य विषय गणित तथा समाजशास्त्र है और नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा जिसका मुख्य उद्देश्य इनके व्यवहार में परिवर्तन लाना तथा इनके भविष्य को अंधकारमय होने से बचाना है।

इनके लिए जो कक्षाएँ चलाई जा रही वे जो सातवीं तक पास है उनके लिए आगे आठवीं से दसवीं तक के लिए तथा जो दसवीं पास हैं उन्हें प्राइवेट से

हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, गिरिडीह तथा चतरा से लाये गये हैं। जिनकी अभी संख्या 94 है। जिन्हें सम्प्रेक्षण गृह में 5 वार्डों में रखा गया है जो वार्ड क्रमशः वार्ड 01, वार्ड 02, वार्ड 03, वार्ड 04 और वार्ड 05 हैं। बाल सुधार गृह का क्षेत्र काफी विस्तृत, ऊँची चहारदीवारी तथा पेड़–पौधे है। आम, अमरूद, कटहल आदि के विशाल पेड़ इस चारदीवारी के अंदर लगे हुए है। यहाँ इनकी सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम है। गार्ड तथा पुलिस के दो–चार सिपाही हमेशा यहाँ तैनात रहते हैं। प्रत्येक वार्ड में 20 से 25 बालकों के विश्राम की व्यवस्था है। यहाँ उपस्थित बालकों की आयु 18 वर्ष से कम है तथा 5 दिन से लेकर 12 महीने पुराने बालक यहाँ अभी उपस्थित है। जिनके लिए जिला शिक्षा बोर्ड द्वारा दो शिक्षक की व्यवस्था की गई है जिनके नाम मनोज सर जो की सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं तथा नवीन सर जिनके बारे में बालकों का कहना है कि वे गणित, अंग्रेजी तथा बाकी सभी विषय पढ़ाते हैं। इनके संरक्षण में इन बालकों की शिक्षा यहाँ बने पाठशाला में सुबह 9 बजे से शाम में 03:30 बजे तक होती है।

यहाँ मौजूद बालकों में 90 प्रतिशत प्रेम प्रसंग के मामले हैं जिनमें बालकों की उम्र 18 से कम होने के कारण इन्हें यहाँ रखा गया है कुछ बालकों का कहना है कि उन्होंने शादी भी कर ली है। इस 90 प्रतिशत मामलों में 5 प्रतिशत ने लड़की का अपहरण किया है तथा उनके साथ जोर–जबरदस्ती का मामला उनपर लगाया गया है। 5 प्रतिशत मामले हत्या के हैं। जिसमें पारिवारिक कलह तथा जमींन जायदाद की वजह से बालक इस अपराध में लिप्त हुए है और बाकी के 5 प्रतिशत चोरी के हैं जिसमें पैसे चोरी से लेंकर मोबाईल चोरी तक के मामले हैं। इन बालकों को इस चहारदीवारी से बाहर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। इस बाल सुधार गृह में ही बाल न्यायलय है जहाँ न्यायधीश महोदय सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक इनके केस

इंटर की परीक्षाओं झारखण्ड एकेडमिक काउंसिल (JAC) से दिलाया जा सके इसके लिए तैयार किया जा रहा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा इनके लिए रोजगार परीक्षण की भी कक्षाएँ लगाई जा रही है ताकि ये जो बाल अपराधी समाज से उपेक्षित है उनका भविष्य निर्माण किया जा सके।

हाल ही में हजारीबाग जिला उपायुक्त नैनसी सहाय तथा जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के सदस्य दीपक रोशन ने बाल सुधार गृह, हजारीबाग का निरीक्षण किया इस दौरान बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और खास प्रस्तुति भी दी। इससे दीपक रोशन काफी प्रभवित हुए और बच्चों को बाहर की दुनिया में अच्छा करने के लिए प्रेरित भी किया।

राँची जिले में स्थित बाल सुधार गृह, डुमरदगा में स्थित है जो कि राँची–हजारीबाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इसमें अभी 250 से अधिक बालकों की संख्या बताई जा रही है। इन्हें भी ऐसे ही वार्डों में रखा जाता है। यहाँ कुछ प्रक्रिया को अभी हाल–फिलहाल अंजाम दिया गया है जिसमें छापेमारी के साथ–साथ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। कर्नल जे० के० सिंह ने जो जानकारी दी है उसमें वे कहते है कि 3 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान 01 पावर बैंक और मोबाइल फोन बरामद किया गया जबकि निबंधन प्रतियोगिता में 100 की संख्या में बच्चों ने भाग लिया जिसमें से श्रेष्ठ 03 लेखों के लिए 03 बच्चे पुरस्कृत किए गए बाकी बच्चों के बीच चॉकलेट बांटें गए।

हजारीबाग तथा राँची के बाल सुधार गृह से इन बच्चों के माता–पिता को काफी उम्मीदे हैं। उन्हें यह आशा होती है कि जब उनके बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो उनके व्यवहार में कुछ सुधार हो चुका होगा। इसलिए इस शोध के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश है कि बच्चे के व्यवहार में उनके विचार में सुधार हो, जैसा कि दीपक रोशन जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के सदस्य के

'किशोर' का शब्दकोश अर्थ अपरिपक्व, युवा व्यक्ति है, 'अपराधी' का अर्थ है कोई छोटा अपराध या दुष्कर्म करना। 'अपराधी' वह है जो कोई छोटा अपराध करता है। कानूनी दृष्टिकोण से 'किशोर' का अर्थ है एक लड़का जो सोलह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और एक लड़की जो अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। और यदि ऐसा बच्चा कोई अपराध करता है और राज्य के कानून द्वारा दंडित किया जाता है, तो उसे 'किशोर अपराधी' कहा जाता है; यानी वे सभी जिन्हें पकड़ा जाता है वे अपराधी नहीं हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी या हर बच्चा, जो इस तथ्य के बावजूद अपराध करता है कि उसे पकड़ा गया है या नहीं, एक किशोर अपराधी है। किशोर अपराध की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। कुछ लेखक अपराध के कानूनी पहलू पर जोर देते हैं, जैसे कानून का उल्लंघन, गिरफ्तारी, आदि, जबकि अन्य व्यवहार संबंधी समस्याओं पर जोर देते हैं, जैसे अनौपचारिक अपराध। व्यवहार संबंधी विकार की संरचना और कार्य तथा किशोर अपराध की अवधारणा एक दूसरे से संबंधित हैं। कानून का उल्लंघन पुलिस और अधिकारियों के लिए एक समस्या है, जबकि व्यवहार संबंधी विचलन माता-पिता, समुदाय और शैक्षणिक संस्थानों के लिए समस्या बन जाता है।

बाल अपराध – "जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून–विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है, तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं।"

कुप्पु स्वामी के अनुसार "अपराधी बालकों के चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वह वर्त्तमान आनन्द के सिद्धांत में विश्वास करता है और भविष्य की चिन्ता नहीं करता है।"

एलिस के अनुसार "अध्ययन में मन न लगना, बालकों तथा बालिकाओं का अनुपात क्रमशः 80:20 का होना बाल अपराध कहलाता है।"

न्यूमेयर के अनुसार "एक किशोर अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु वाला वह व्यक्ति है, जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है।"

Picture saved

अरुण कुमार के अनुसार "बाल अपराधी ऐसे बालकों को कहा जाता है, जिनकी आयु कानून द्वारा निश्चित की गई सीमा के अंदर होती है, जो भिन्न–भिन्न प्रकार के अपराध करते हैं। ऐसे बालकों को शारीरिक गुण, स्वभावगत गुण, मनोवृत्ति संबंधी गुण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गुण मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर पहचाना जा सकता है।"

साहित्य की समीक्षाः

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्त्ता द्वारा समस्या से सम्बन्धित शोध का सर्वेक्षण किया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

श्रीवास्तव, एस0 पी0 1953 – बाल–आवारागर्दी, (जूवेनाइल वैग्रेन्सी) के सामाजिक पर्यावरणीय पक्ष को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर एवं लखनऊ नगर का अध्ययन किया। अपने बालकों की विषम आदतों एवं व्यवहारों का सामाजिक–मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। डॉ० श्रीवास्तव ने बताया कि किस प्रकार नगरीय संरचना, व्यापार प्रकृति एवं अन्य सामाजिक पर्यावरण बाल–अपराध को संचालित करते हैं एवं किस प्रकार आखथक उतार–चढ़ाव विचलित व्यवहार को प्रभावित करते हैं। डॉ० श्रीवास्तव ने अपने अध्ययन में बाल–आवारापन को स्थानीयता के आधार पर वर्गीकृत किया है, उनके अनुसार बाल–आवारापन उच्च अपराधी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है।

गोयल 1967 ने बाल–अपराध का अध्ययन पारिवारिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के पांच नगरों को लेकर किया, जो भिन्ना–भिन्ना सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से है। यह अध्ययन बाल–अपराध के संदर्भ में घर–परिवार, शिक्षा, पड़ोस एवं व्यवसायिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालता है।

सेठ, हंसा, 1961 ने बाल–अपराधियों के संबंध में बम्बई, पूना और अहमदाबाद का अध्ययन किया, इसी प्रकार लखनऊ और कानपुर में **वर्मा एस0 सी0 1959** के द्वारा अध्ययन किया गया तथा **रटन II, जी0 एन0 1947** द्वारा किया गया अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि बाल–अपराध अधिकतर 13–16 वर्ष की आयु के बालकों में अधिक मिलता है तथा इन्होंने निर्धनता तथा भग्न परिवार को बाल–अपराध का प्रमुख कारण माना है।

राव, वी0 जी0 ने अपनी पुस्तक "फेसेट्स इन क्राइम इन इंडिया (1961) में बाल–अपराध की रोकथाम, बाल–अपराधियों के सुधार तथा उनके अपराध का बड़ा ही विषद वर्णन किया है।

इसी तरह भुक्ला द्वारा प्रकाशित शोध पत्र "जूवेनाइल डेलिक्वेंसी इन इंडियाः रिसर्च ट्रेंड्स एण्ड प्रियोरिटीज" (1982) विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने बाल–अपराधिता के अर्थ, कारण, रोकथाम का वर्णन किया है। साथ ही विभिन्न शोध कार्यों के बीच पाये जाने वाले अंतरालों तथा आगामी शोध कार्यों के लिए आवश्यक आवश्यकताओं से हमें पूर्ण परिचित कराया।

पद्मजा, के0 पी0 2008 ने भारत में बाल–अपराध से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे बाल–अपराध के कारण बाल सुधार गृहों की कार्यप्रणाली बाल न्यायालय जैसे विषयों की व्याख्या की है।

दुर्खीम 1893 पहले समाजशास्त्री थे, जिन्होंने समाज में विसंगति तथा आदर्शहीनता को अपराधी व्यवहार का महत्वपूर्ण कारक माना है। दुर्खीम की एनोमी की अवधारणा को मर्टन (1938) ने आगे बढ़ाया। मर्टन का कहना है कि कुछ सामाजिक संरचनायें समाज में कुछ बालकों पर अनुरूप व्यवहार करने की अपक्षा प्रतिकूल व्यवहार करने के लिए निश्चित दबाव डालती है।

ओहलिन एवं क्लोवार्ड 1960 ने अपराधी–उपसंस्कृति के संबंध में विभिन्न–अवसर का सिद्धांत दिया। विभिन्न अवसर का सिद्धांत बड़े–बड़े नगरों में निम्नवर्गीय क्षेत्रों में किशोरों के अपराधी व्यवहार को लेकर विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति की समाज के वैध और अवैध अवसर व्यवस्था में एक स्थिति होती है। इसी स्थिति के आधार पर वह अपनी अभिलाषाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा अपने को समाज में समायोजित करता है। तब व्यक्ति अपने लक्ष्यों और अभिलाषाओं का वैध अवसरों द्वारा प्राप्त नहीं कर पाता तो उसमें निराशा उत्पन्न हो जाती है। यह निराशा ही उसके विचलित व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है।

बाल–अपराध अध्ययन के क्षेत्र में हीले एवं ब्रोनर 1926, 1915, सिरिल बर्ट 1955 का विशेष योगदान रहा है। इन विद्वानों ने बाल–अपराध की समस्या पर विशेष प्रकाश डाला है तथा निर्धनता और भग्न–परिवार को बाल अपराध का मुख्य कारण माना है।

उपरोक्त प्रस्तुत साहित्य अध्ययनों में हमने पाया कि बाल–अपराध के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन हुए हैं, जिनमें बाल–अपराध के कारण, परिणाम, बाल न्याय व्यवस्था और बाल–सुधार गृहों की कार्य प्रणाली को अध्ययन का विषय बनाया गया है, परन्तु सूचना प्रोद्योगिकी क्रांति, वैश्वीकरण, मीडिया और उपभोक्तावादी जीवन–शैली का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में बाल अपराध का अध्ययन अब तक नहीं हुआ है। अतः यह शोध बाल–अपराध की उभरती प्रवृत्तियों को एक नये दृष्टिकोण से समझने में सहायक होगा।

समीक्षाओं की खोज का उद्देश्य उन सामान्य कारकों की पहचान करना है जिनसे बालकों के मन में अपराध की धारणा का जन्म होता है। इस अध्ययन से इन बाल सुधार गृह में रह रहे बालकों के व्यवहार के परिवर्तन की समीक्षा का पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सके तथा उन्हें उज्जवल भविष्य की अग्रसर

किया जा सके ताकि बाल सुधार गृह से निकलने के बाद ये बालक अपनी जीविकोपार्जन करने में समर्थ हो सके।

शोध का महत्वं –

प्रस्तावित शोध कार्य निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है –

क) प्रस्तावित अध्ययन हजारीबाग तथा राँची जिला में उपस्थित बाल सुधार गृह के बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है इसमें इनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हो रही त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है।

ख) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कितनी प्रभावशाली है इसका पता लगाया जा सकता है।

ग) इस क्षेत्र में कितना सुधार आवश्यक तथा जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही उसमें कितना सुधार आवश्यक है इसका पता लगाया जा सकता है।

घ) बाल–अपराध की उभरती प्रवृत्तियों की जांच पड़ताल कर बाल–अपराध रोकथाम और बाल–अपराधियों को समाज से पुर्नसमायोजन के संदर्भ में कुछ ठोस रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य –

प्रस्तावित अध्ययन का निम्न उद्देश्य है –

- हजारीबाग तथा राँची के बाल सुधार गृह के बालकों के अपराध की प्रवृत्ति में लिप्त होने के कारणों का पता लगाना।
- उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तुलनात्मक अध्ययन का मूल्यांकन करना।
- शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से होने वाले प्रभाव तथा व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना।

- बाल–अपराध में ही हो रही वृद्धि को रोकने के लिए, सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाने एवं समस्या के समाधान हेतु ठोस सुझाव प्रस्तुत करना।
- व्यवसायिक कौशल विकास के लिए दी जा रही कक्षाओं की विवेचना करना।
- इंटरनेट, मोबाईल फोन तथा मास मीडिया से पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाना।

शोध की परिकल्पना –

शोध समस्या में संबंधित निम्नलिखित परिकल्पनाएँ होंगी।

Ho1 – शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करनेवाले बाल अपराधियों के मध्य बाल अपराध की मनोवृत्ति को लेकर कोई सार्थक संभावित अंतर हो सकते हैं।

Ho2 – हजारीबाग तथा राँची के बाल सुधार गृह में रहने वाले बालकों के मध्य बाल अपराध की घटनाओं को लेकर कोई सार्थक संभावित अंतर हो सकते हैं।

Ho3 – हजारीबाग तथा राँची के बाल सुधार गृह में रहने वाले बालकों के मध्य बाल अपराध में लिप्त बालकों की आयु को लेकर कोई सार्थक संभावित अंतर हो सकते हैं।

Ho4 – हजारीबाग तथा राँची के बाल सुधार गृह में रहने वाले बालकों के मध्य बाल अपराधी बालकों के मध्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लेकर कोई सार्थक संभावित अंतर हो सकते हैं।

Ho5 – हजारीबाग तथा राँची के बाल सुधार गृह में रह रहे बालकों के शारीरिक विकार में मध्य संभावित अंतर हो सकते हैं।

शोध प्रविधि –

सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करेगें। प्राप्त आँकड़ों का संकलन करेगें।

प्राथमिक आँकड़े– साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची आदि का निर्माण करेगें।

द्वितीयक आँकड़े– पुस्तक, मैगजीन, पुस्तकालय, सरकारी दस्तावेजों का प्रयोग करेगें। अवलोकन विधि का प्रयोग करेगें। समग्रता को ध्यान में रखते हुए निर्देशन का पालन करेगें।

आंकड़े संकलन हेतु उपकरण

अध्ययन हेतु स्वनिर्मित उपकरण का उपयोग किया जायेगा।

जनसंख्या –

इस शोध–कार्य में बाल सुधार गृह, हजारीबाग तथा राँची में उपस्थित बालकों को इसमें संलग्न किया जायेगा।

प्रतिदर्श –

शोध कार्य के लिए बाल सुधार गृह, हजारीबाग के 94 तथा राँची के 250 उपस्थित बालकों में से प्रतिदर्श के लिए 200 बालकों का चयन किया जायेगा।

प्रतिदर्श चयन विधि –

इस शोध कार्य में "स्तरीकृत न्यादर्श विधि" का प्रयोग प्रतिदर्श चयन हेतु किया जायेगा।

सांख्यिकी विश्लेषण –

इस शोध–कार्य में आँकड़ों के विश्लेषण हेतु तुलनात्मक सांख्यिकी के अन्तर्गत आँकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए वृत्ति रेखाचित्र का प्रयोग किया जायेगा।

शोध सीमा –

शोध प्रबंध की कुछ सीमाएँ है जो यह दर्शाती है कि यह शोध कुछ सीमित जिलों तक ही किया गया है।

- यह शोध प्रबंध बाल सुधार गृह, हजारीबाग एवं राँची तक ही सीमित है।
- यह शोध सिर्फ अपराधी बालकों के चरित्र वितरण तक ही सीमित है।
- बालिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. Clinard, Marshall B.S. Daniel, J. Abbott, 1973. "Crime in Developing Countries", New York.
2. Sutherland, E.H. 1966. "Principle of Criminology", New York, J.B. Lippincott Co.
3. Cloward, R. and Ohlin, L. 1960. "Delinquency and Opportunity", New York, Free Press
4. Goyel, C.P. 1965. "A Study of Five Hundred Delinquents in relation to Home and Social Situation", Unpublished Ph.D. Thesis, Agra.
5. Seth, Hansa. 1961. "Juvenile Delinquency in an Indian Settings", Popular Book Depot, Bombay.
6. Rao, S. Venugopal, 1967. "Facts of Crime in India", Allied Publisher Pvt., Ltd., New Delhi.
7. Chandra, Sushil. 1967. "Sociology of Deviation in India", Allied Publisher Pvt. Ltd., New Delhi.
8. Shukla, K.S. 1982. "Delinquency Control": The Institutional Strategy", The Indian Journal of Social Work, 43
9. Sharma, D.D. 1996. "Young Delinquents in India", Rupa Books Pvt. Ltd., Jaipur
10. कुमारी मंजू, 2000, "भारत मे बाल अपराध", प्रिन्टवैल पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर
11. Mishra, Mamta, 2002, "Juvenile Delinquency and the Urban Society", Merut: Anu Books.
12. Bhattacharya, S.K. 2004. "The Juvenile Justice System in India from welfare to rights", Oxford University Press.
13. Kethineni, Sesha & Tricia, Klosky, 2005. "International Criminal Justice Review", Vol. 15, No. 2, 131-146.
14. Padmaga, K.P. 2008. "Juvenile Delinquency", ICFAI University Press.
15. कुमारी बेबी, 2012, "किशोरों में बाल अपराध", आयुष्मान पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।